Chief Minister's Information System
Jan Ghoshna Patra (Manifesto) General Listing

Panchayati Raj Department

Sr. No.	Announcement Description	Action Taken by Dept.	Status
1	4.1 - श्री राजीव गांधी द्वारा लाये गए 73वें संविधान संशोधन की भावनाओं के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को साकार करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वास्तविक अर्थों में सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद को अधिकाधिक अधिकार देना।	इस विषय पर विचार कर सुझाव हेतु मंत्रीमण्डल समूह का गठन प्रस्तावित कर दिया गया है। तदानुसार कार्यवाही की जावेगी।	Task Started, but not Completed
2	4.2 - प्रत्येक गांव की सड़कों की मरम्मत करना तथा जहां सड़क नहीं है, वहां RCC (Reinforced Cement Concrete) की नई सड़कें बनाना तथ जल निकास हेतु समुचित Drainage System को विकसित करना।	प्रत्येक ग्राम पंचायत में जहां सडक नहीं है, वहां इंटरलॉकिंग सडक/सीमेंट सडक का निर्माण करावें तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत का डेनेज प्लान तैयार कर जल निकासी का समुचित प्रबन्धन ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के माध्यीम से कन्वर्जेस किया जाकर कार्यवाही सुनिश्चित कराने एवं गांव में ऐसी सडकें जिनकी मरम्मत की जानी आवश्यंक है उनका सर्वे कर योजनान्तर्गत कार्य कराने हेतु जिला परिषदों को निर्देशित किया जा चुका है। दिनांक 19-03-2019 तक 15867 कार्य स्वीकृत किये जा चुके है।	Task Started, but not Completed
3	4.10 - ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा का गठन।	ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा के गठन हेतु कार्यवाही प्रकियाधीन है।	Task Initiated
4	23.2.01 - घुमंतु/अर्द्ध घुमंतु, विमुक्त जातियों को पात्रता के आधार पर बी.पी.एल. में चयनित कर निःशुल्क आवासीय पट्टा।	घुमंतु/अर्द्ध घुमंतु, विमुक्त जातियों को पात्रता के आधार पर बी.पी.एल. में चयन का कार्य ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाता है। पंचायती राज नियम 158 के तहत घुमंतु/अर्द्ध घुमंतु, विमुक्त जातियों को पात्रता के आधार पर बी.पी.एल. में चयनित कर निःशुल्क आवासीय पटटे जारी किये जा रहे है।	Task Started, but not Completed

Chief Minister's Information System
Jan Ghoshna Patra (Manifesto) General Listing

Sr. No.	Announcement Description	Action Taken by Dept.	Status
5	27.8.04 - अतिक्रमियों पर शिकंजा कसा जायेगा एवं जमीनों के मामलों में धोखाधड़ी रोकने के लिये संबंधित अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी एवं हाउसिंग सोसाइटियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जायेगी।	ग्रामीण क्षेत्र की आबादी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा विशेष अभियान संचालित कर विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही हेतु निर्देश जारी किये गये है।	Task Started, but not Completed
6	27.36.01 - शहरों और गांवों में बीमारियों की रोकथाम और पर्यटन की दृष्टि से स्वच्छता हेतु महत्ती कार्य योजना।	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत में ठोस एवं तरल कचरा (संसाधन) हेतु प्रावधान रखा गया है। राज्य की सभी 9892 ग्राम पंचायतों में इस योजना के अन्तर्गत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदन उपरान्त जिले से स्वीकृति जारी कर ग्राम पंचायतों में कार्य प्रारम्भ किया जाना है। राज्य एवं जिला स्तर पर पर्यवेक्षण कर समस्त ग्रामों में नियमित सफाई व्यवस्था, घर-घर कचरा संग्रहण, पृथक्कीरण एवं निस्तारण हेतु योजनानुसार 100 दिवस कार्य योजना में भी शामिल किया गया है। माह फरवरी, 2019 तक ग्राम पंचायत में ठोस एवं तरल संसाधन प्रबन्धन (SLRM) हेतु कुल 9892 ग्राम पंचायतों में से 6028 SLRM प्रोजेक्ट अनुमोदित किये गये है एवं शेष 3866 ग्राम पंचायत के प्रस्ताव 31 मार्च 2019 तक प्राप्त कर SLSSC से 15 अप्रेल तक अनुमोदित कर कार्य प्रारम्भ करवा दिया जाएगा।	Task Started, but not Completed